सं0सं0–7/MCH–35–30/2022– 593(7)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शैलेश कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवामे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा– आतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनाक–28/03/2025

विषयः– इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान सस्थान, शेखपुरा, पटना में 1200 शैय्या के नये अस्पताल भवन एव आवासीय भवन के निर्माण तथा अन्य अनुसंगिक कार्यों हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल रू० 5,13,21,00,000/– (रुपये पाँच अरब तेरह करोड़ इक्कीस लाख) मात्र की लागत पर स्वीकृत स्कीम (योजना) के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024–25 में तृतीय किस्त के रूप में रु0 1,10,25,00,000/–(रुपये एक अरब दस करोड़ पच्चीस लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सबध मे कहना है कि इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान सस्थान, शेखपुरा, पटना मे 1200 शैय्या के नये अस्पताल भवन एव आवासीय भवन के निर्माण तथा अन्य अनुरागिक कार्यो हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लि० पटना से प्राप्त प्राक्कलन एव तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2019–20 मे कुल रू० 5,13,21,00,000/– (रुपये पॉच अरब तेरह करोड इक्कीस लाख) मात्र की लागत पर स्वीकृत स्कीम (योजना) की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक–127(1), दिनाक–29.01.2020 द्वारा प्रदान की गयी थी।

2–इस योजना हेतु अबतक आवटित/व्यय राशि का विवरण निम्नरुपेण है–

क्र0स0	वित्तीय वर्ष	राशि (रु0 मे)	आवटनादेश/व्ययादेश सं0 एवदिनाक
1	2022–23	13,20,00,000	स0–99(7), दिनाक–06 07 2022
2	2022–23	4,00,00,000	स0–528(7), दिनाक–07 03 2023
3	2023–24	9,90,00,000	स0–143(7), दिनाक–19 07 2023
4	2023–24	17,30,00,000	स0–223(7), दिनाक–20 09 2023
5	2023–24	35,50,00,000	स0–576(7), दिनाक–01 03.2024
6	2024–25	25,00,00,000	स0–140(7), दिनाक–23 08.2024
7	2024–25	25,00,00,000	स0–335(7), दिनाक–09 01 2025
	कुल–	**1,29,90,00,000**	

3–तदक्रम में निगम द्वारा किये गये माग के आलोक में वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में उक्त स्कीम (योजना) हेतु तृतीय किस्त के रूप में रु0 1,10,25,00,000/– (रुपये एक अरब दस करोड पच्चीस लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4–उक्त अस्पताल भवन मे 24 ओ0टी0 होगे, वही अस्पताल भवन मे 120 शैय्या का आई0सी0यू0 एवं 80 शैय्या के इमरजेन्सी का भी प्रावधान है। प्रस्ताव पर इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान सस्थान, शेखपुरा, पटना के शासी निकाय की 103वी बैठक मे मद संख्या–101/1529(1) के रूप में स्वीकृति प्राप्त है एवं यह कार्य इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान सस्थान, शेखपुरा, पटना द्वारा बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना के माध्यम से कराया जायेगा।

5–उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश सं0–127(1), दिनाक–29 01 2020 मे निहित्त शर्तो के आधार पर किया जायेगा।

6–यह राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सख्या–2561/वि0(2), दिनाक–17 04 98, 2880/वि0(2), दिनाक–06.05 06, 2938/वि0(2), दिनाक–08 04 08, 3758/वि0, दिनाक–31 05. 2017 एव 12888/वि०, दिनाक–03 12.2024 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

7— इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होगे तथा नियत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगे।

8—इस राशि के व्यय का वहन मॉग सख्या—20 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष—2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—05—चिकित्सा शिक्षा—प्रशिक्षण तथा अनुसधान—200—अन्य पद्धतियॉ—0101—इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान सस्थान, पटना, विपत्र कोड—20—2210052000101 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024—25 के योजना आय—व्ययक में विषय शीर्ष 0101—31—05 सहायक अनुदान—परिसम्पत्तियो के निर्माण मद में बजट उपबध/तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

9— **वित्त विभागीय पत्र संख्या—2867/वि०, दिनांक—13.03.2025** के कडिका—02 (॥) में दिये गये निर्देश के आलोक में पी०एल० खाता मे राशि अतरण के मामले मे वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

10—अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म—46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से उक्त राशि को निदेशक, इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना के पी0एल0 एकाउन्ट सं0—PBBPLA003 विपत्र कोड—00-8448001200068-0001 के अन्तर्गत ledger ID-13909 में उपलब्ध करायेगे एवं निदेशक, इदिरा गॉधी आयुर्विज्ञान सस्थान, शेखपुरा, पटना कराये गये कार्य के विरूद्ध विभागीय पत्रांक—211(7), दिनांक—22.09.2022 के आलोक में उक्त राशि बिहार चिकित्सा सेवाये एव आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना के खाते मे उपलब्ध करायेगे ।

11—बिहार चिकित्सा सेवाये एव आधारभूत सरचना निगम, पटना इस राशि का इस राशि का व्यय कर ससमय उपयोगिता प्रमाण—पत्र इदिरा गॉधी आयुर्विज्ञान सस्थान, शेखपुरा, पटना को उपलब्ध करायेगे एव सस्थान द्वारा उक्त उपयोगिता प्रमाण—पत्र विभाग को अग्रेसित किया जाएगा। राशि की नियमानुकूल व्यय की सम्पूर्ण जवाबदेही बिहार चिकित्सा सेवाये एवं आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना की होगी।

12—प्रस्ताव एवं प्रारूप पर अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

13—प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति स0सं0—7/MCH—35—30/2022 के पृष्ठ—55/टि0 पर प्राप्त है।

14—राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकासभवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले मे महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

15—यह मात्र राज्यादेश है, आवंटन CFMS के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

विश्वासभाजन

28/3/25

(शैलेश कुमार)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापाकः—7/MCH—35—30/2022— 593(7) /स्वा0, पटना, दिनांक— 28/03/2025

प्रतिलिपि—महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव—सह—निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—प्रबध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाये एव आधारभूत सरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः—मा0 मत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी—7/लेखा शाखा (दो प्रतियो मे), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः—निदेशक, इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान सस्थान, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/3/25

सरकार के विशेष सचिव